विदेशी एमबीबीएस डॉक्टरों को फर्जी सर्टिफिकेट बेचने वाला सरगना एसओजी के हत्थे चढ़ा

थाईलैंड और दुबई में छिपा था मुख्य आरोपी, कजाकिस्तान से लौटा डॉक्टर बना दलाल

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को फर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसओजी ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित एक अन्य डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह उन डॉक्टरों को निशाना बनाता था जो भारत में प्रैक्टिस के लिए जरूरी विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) परीक्षा पास नहीं कर पाते थे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वाले अभ्यर्थियों को फर्जी स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाले मुख्य आरोपी भानाराम माली उर्फ भानू (30) निवासी ब्यावर पिछले काफी समय से फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में ठिकाने बदल रहा था। एसओजी की टीम को सूचना मिली कि वह दिल्ली पहुंचने वाला है। जिस पर टीम ने जाल बिछाकर उसे एयरपोर्ट से दस्तयाब कर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फिलहाल सात फरवरी तक पुलिस रिमांड पर है।

- **विदेश से डिग्री लेकर आए 73 अन्य डॉक्टरों की भूमिका भी जांच रही एस.ओ.जी.**

जांच में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया है। एसओजी ने डॉ. इन्द्रराज सिंह गुर्जर (27) निवासी करौली को भी गिरफ्तार किया है। इन्द्रराज खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर लौटा था, परंतु परीक्षा पास नहीं कर सका। उसने आरोपी भानाराम को पैसे देकर दिसंबर 2022 का कूटरचित एफएमजीई सर्टिफिकेट प्राप्त किया। इसी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर उसने अलवर के राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूरी की और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर लिया। बाद में वह अन्य अभ्यर्थियों को भी फर्जी सर्टिफिकेट दिलवाने के खेल में शामिल हो गया।

एसओजी की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इस गिरोह ने दर्जनों अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेज बांटे हैं। वर्तमान में विदेश से डिग्री लेकर आए 73 अन्य डॉक्टरों की भूमिका की गहनता से जांच की जा रही है, जिन्होंने संभवत इसी गिरोह के माध्यम से कूटरचित प्रमाणपत्र हासिल किए हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में डीआईजी परिस देशमुख के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी हरपाल सिंह और जितेंद्र नवारिया ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

32वां ध्रुवपद समारोह 10 को

जयपुर (कासं)। इन्टरनेशनल ध्रुवपद धाम ट्रस्ट एवं रसमंजरी संगीतोपासना केन्द्र, जयपुर द्वारा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर की सहभागिता में राजस्थान की ध्रुवपद - विरासत के हस्ताक्षर ध्रुवपदाचार्य पद्मश्री पं लक्ष्मण भट्ट तैलंग की पुण्यतिथि 10 फरवरी को 32वां अखिल भारतीय ध्रुवपद नाद-निनाद विरासत समारोह जयपुर ध्रुवपद धरोहर आयोजित किया जाएगा। जवाहर कला केन्द्र के कृष्णायन सभागार में सायं 6 बजे से विभिन्न प्रस्तुतियां होंगी। इसका प्रारम्भ भारत के 150 वर्ष पूर्ण कर चुके राष्ट्रगीत वन्देमातरम् के गौरव-गान से होगा, उसकी गुण-बखान की विविधता के भाव के अनुरूप परम्परागत धुन को नवीन ध्रुवपद के छंद में कुछ नये स्वर - संयोजनों के सौन्दर्य के साथ विस्तार दिया जायेगा, जिसे ध्रुवपद - गायिका प्रो. मधु भट्ट तैलंग के निर्देशन में उनके शिष्य प्रस्तुत करेंगे।

तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। राजधानी में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और सांगानेर थाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर कल्याण सिंह (22) निवासी राजगढ़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 589.95 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़ी गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 18 लाख रुपये है।

जलदायकर्मी 9 फरवरी को करेंगे प्रदर्शन

जयपुर। प्रान्तीय नल मजदूर यूनियन (इंटक) जयपुर के आव्हान पर 9 फरवरी को सैकड़ों कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पानी पेच जयपुर पर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत एवं जिला अध्यक्ष ताराचन्द सैनी ने संयुक्त रूप से बताया कि विभाग द्वारा लंबे समय से जलदाय कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर जलदाय कर्मचारियों की आम सभा भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

वास्तुकार प्रमोद जैन को 12वाँ ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रसिद्ध वास्तुकार प्रमोद जैन को उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के लिए प्रतिष्ठित 12वाँ ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड (आइसा)- 2025 प्रदान किया। वास्तुकार प्रमोद जैन को बतौर पुरस्कार ट्रॉफी और 1 लाख की नकद राशि प्रदान की गई। उन्हें यह सम्मान जेईसीसी सीतापुरा में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट में शुक्रवार शाम को दिया गया।

पुरस्कार प्रशस्ति पत्र में वास्तुकार जैन को एक दूरदर्शी वास्तुकार बताते हुए पत्थर के अभिनव और उत्कृष्ट उपयोग के लिए उनकी सराहना की गई। जूरी ने विशेष रूप से मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर को जोधपुर की समृद्ध स्थापत्य विरासत से प्रेरित एक उत्कृष्ट भवन बताया। स्थानीय सूरसागर सैंडस्टोन से निर्मित यह भवन पारंपरिक पत्थर निर्माण तकनीकों को समकालीन और नवाचारी शैली में प्रस्तुत करता है। इसकी आकर्षक मुखाकृति, भव्य प्रवेश द्वार और सूक्ष्म पारंपरिक अलंकरणों की विशेष प्रशंसा की गई। इस पुरस्कार चयन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया, जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए), नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स (आईआईए), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर्स (आई आईआईडी), मुंबई के अध्यक्ष तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स (आइसोला) के अध्यक्ष शामिल थे।इससे पूर्व भी वास्तुकार

प्रमोद जैन को लगातार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) जयपुर के लिए डिज़ाइन स्केप अवॉर्ड-2024 तथा एमआईसी, जोधपुर के लिए वर्ष 2025 में मिल चुका है। उल्लेखनीय है कि जयपुर निवासी प्रमोद जैन को वास्तुकला के क्षेत्र में पाँच दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उनका करियर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं से समृद्ध रहा है। जयपुर के प्रसिद्ध राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की वास्तुकला डिजाइन भी उन्होंने ने ही की थी जिसकी गवाही सेंटर के बाहर लगा शिलालेख कर रहा है।

सीवर लाइन की मांग

जयपुर । पत्रकार कॉलोनी विकास समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आसपास की शेष बची कॉलोनियों को सीवरेज लाइन से जोड़ने की मांग की है। पत्रकार कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष अजीत तिवारी, संरक्षक श्याम सुंदर शर्मा, महासचिव नरेंद्र सर्वोदयी, उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. गुप्ता, तथा राजीव जैन ने यह जानकारी दी।

बिना आयोडिन का 92 हजार किलो नमक जब्त

जयपुर । मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुद्ध आहार-मिलावट पर आहार अभियान के तहत शुक्रवार को 92 हजार किलो से अधिक नमक जब्त किया, जिसमें आयोडीन नहीं था। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि शुद्ध आहार-मिलावट पर अभियान के तहत शुक्रवार को अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नावा सिटी स्थित नमक फैक्ट्री मैसर्स कस्तूरी कैमफूड प्रा.लि. पर कार्रवाई की गई।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सुरेश शांह पुत्र श्री सिकन्दर शाह निवासी प्लाट नम्बर 222, हसनपुरा सी, जयपुर ने भूखण्ड संख्या 211 व 212 कमला नेहरू नगर, हसनपुरा सी, जयपुर के उत्तरी हिस्से 15x45 फिट क्षेत्रफल 75 वर्गगज को सत्यनारायण सैनी पुत्र स्व. चुन्नी लाल, निवासी-212, कमला नेहरू नगर, हसनपुरा सी, अजमेर रोड़, जयपुर राजस्थान-302006 से क्रय करने का इकरारनामा किया है, किसी को कोई एतराज हो तो सात दिवस में आपत्ति पेश करे अन्यथा मेरा अभिभाष्य सम्पूर्ण भुगतान कर उक्त भूखण्ड क्रय की कार्यवाही करेगा।
जयपुर (सुरेश कुमार मिठारवाल) एडवोकेट
दिनांक-6.2.2026 मो.-9414062160, 8003372160

नाम परिवर्तन
मैं दीप्ति राजोरिया पत्नी गोविन्द सिंह निवासी फ्लैट नं.- एफ 2, प्लॉट नं.22, शिव विहार, नव भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पास, मान्यावास, जयपुर। मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम दीप्ति राजोरिया व मेरे पासपोर्ट में दीप्ति सिंह दर्ज है। मैं घोषणा करती हूँ कि दोनों ही नाम मेरे स्वयं के है।

मैने अपना नाम नमिता सिंह राठौड़ से बदलकर नमिता सिंह कर लिया है, नमिता सिंह पुत्री श्री पदम सिंह पत्नी जयदीप सिंह नरुका निवासी- प्लॉट नं ए-62, पदम विहार कॉलोनी, रजत पथ, न्यू सांगानेर रोड़ के सामने, मानसरोवर, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

I have changed my Name from Ruchika Agrawal to Ruchika Agarwal for all future purposes. Ruchika Agarwal w/o Shri Shubham Goyal R/o 4-R-1, sector no. 4, Jawahar Nagar, Jaipur- 302004

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6(I)DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC.N.J/2026/845 Date : 06-02-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3437655	On Row Sitapura Puliya Govind Vihar Colony, Tonk Road, Sitapura Ward No.99, Distt. Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

(रजि. संख्या 2965/एल दिनांक 29.05.1976)
पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
पता : सी-18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर-302018
क्रमांक : एसपी-1 दिनांक : 05.02.2026
विशेष आम सभा का नोटिस
पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **दिनांक 21.02.2026 को प्रातः 11:30 बजे सोसायटी के कार्यालय पता: सी-18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा जयपुर-302018** पर सोसायटी के सदस्यों की **विशेष आम सभा** आयोजित की जाएगी जिसके विचारणीय विषयबिन्दु निम्नलिखितानुसार रहेंगे :-
1. गत आमसभा की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार। 2. समिति की बकाया ऑडिट रिपोर्टों-वर्ष 2019-21, 2021-23 व 2023-25 के अनुमोदन पर विचार। 3. समिति के ऑडिट रिपोर्टों में अंकित ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट के अनुमोदन पर विचार। 4. समिति की प्रबंधकारिणी की बैठकों में लिये गये निर्णय की पुष्टि पर विचार। 5. समिति की प्रबंधकारिणी के निर्वाचन हेतु निर्वाचन की अभ्यर्थना भिजवाये जाने पर विचार। 6. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की आज्ञानुसार।
आज्ञा से, मंत्री
नोट : कोरम के अभाव में स्थगित आम सभा उसी दिन **दोपहर 12:30 बजे उसी स्थान पर** पुनः आयोजित की जायेगी जिसमें विचारणीय विषय बिन्दु यथावत रहेंगे।

खोया पाया
मेरे प्लॉट नंबर सी- 5 तिरुपति गार्डन पहाड़गंज गृहनिर्माण समिति जयपुर के पट्टे के कागज एवं अन्य कागजात दुकान नंबर 19, जनता कॉलोनी गोखले पार्क से जाते हुए खो गए है। मिलने पर सूचित करे- मीनाक्षी अग्रवाल- 9351384089

मेरा Flat No.-B/16/13 (T.F.) चिनाब अपार्टमेन्ट प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, भौतिक कब्जा पत्र, नो-ड्यूज व जमा रसीदे आदि कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें- प्रतिभा शर्मा- 9460913138

नाम परिवर्तन
I Lakshya Agarwal S/o Nishant Agarwal Residing at F-151, Chaitnya Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan- 302001. Do hereby Solemnly affirm that i have changed my name from Lakshya Goyal to Lakshya Agarwal. In Future i will be known by my changed name

I Priyanka Agarwal W/o Nishant Agarwal Residing at F-151, Chaitnya Marg, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan- 302001. Do hereby Solemnly affirm that i have changed my name from Priyanka Goyal to Priyanka Agarwal. In Future i will be known by my changed name

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस, कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर, समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1366
चूंकि प्रार्थी श्री PEEYUSH SHARMA, A-18 NU LITE COLONY TONK ROAD JAIPUR 302018 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास यतीन्द्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, 102 Gokulam 45 Road No 1D VKI Area Jaipur 302018 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा । आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 09/04/2026
रतनलाल योगी
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय नगरपालिका मण्डल अजीतगढ़ (सीकर)
Email.Id: Npajitgarh@gmail.com
क्रमांकः न.पा.अजी./2025-26/2907 दिनांकः3/02/2006
प्रारूप -10 (नियम 6 (7))
लोक सूचना
श्री कालूराम जाट पुत्र श्री मुरलीधर जाट निवासी वार्ड न.06 अजीतगढ़ मे कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का गैरकृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात:
जिले सहित तहसील का नाम-अजीतगढ़ तहसील माधोपुर, **ग्राम का नाम**-अजीतगढ़, **खसरा नम्बर**-1075, **क्षेत्रफल**-0.98 हैक्टयर मे से 1225 वर्गमीटर, **प्रयोजनार्थ**-वाणिज्य (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ
इसलिए इसके द्वारा समस्त सबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजो के साथ आक्षेप कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जावेगा की किसी के आक्षेप नही है। और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधीन आज दिनांक 03.02.2026 को जारी की गई है।
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका अजीतगढ़

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1310
चूंकि प्रार्थी श्री SHOBIT TIWARI, F37A, GHIYA MARG BANI PARK, JAIPUR, BANI PARK S.O, JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA-302016 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास तिवाडी मदन लाल नारायणी देवी पारीक शोध संस्थान ट्रस्ट F37A, ghiya marg bani park, Jaipur, Bani Park S.O, JAIPUR, Rajasthan, India-302016 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर- 0141-4901853
क्रमांकः- 381 **आम जाहिर सूचना** दिनांकः 03.02.2026
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा विकसित आवासीय भूखण्ड संख्या- 5/MA/93, इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 96.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री त्रिलोक पुत्र स्व. श्री छाजू राम को किया गया था। मूल पट्टा अपंजीबद्ध है। तत्पश्चात आवंटन श्री त्रिलोक पुत्र स्व. श्री छाजू राम के द्वारा उक्त अपंजीबद्ध पट्टे का मुख्त्यारनामाआम श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्त्यारनामाआम अपंजीबद्ध है। तत्पश्चात अपंजीकृत मुख्त्यारनामाआम धारक श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मोती लाल शर्मा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरिये विक्रय पत्र श्री विरेंद्र कौशिक पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 09/04/2007 को पंजीबद्ध है। तत्पश्चात श्री विरेंद्र कौशिक पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरिये विक्रय पत्र श्री फरीदुज्जमा पुत्र श्री सईदुज्जमा को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 09/06/2010 को पंजीबद्ध है। तत्पश्चात श्री फरीदुज्जमा पुत्र श्री सईदुज्जमा के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का बेचान जरिये विक्रय पत्र श्रीमती रजनी बाई मीना पत्नी श्री महेन्द्र कुमार मीना को कर दिया। यह विक्रय पत्र दिनांक 14/02/2024 को पंजीबद्ध है। श्रीमती रजनी बाई मीना पत्नी श्री महेन्द्र कुमार मीना के द्वारा उक्त विकसित आवासीय भूखण्ड का हस्तान्तरण अपने पक्ष में कर उक्त भूखण्ड का नवीन पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों में अपंजीबद्ध मुख्त्यारनामाआम की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त हस्तान्तरण एवं मुख्त्यारनामाआम के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती रजनी बाई मीना पत्नी श्री महेन्द्र कुमार मीना के नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर उनके पक्ष में उक्त भूखण्ड का नवीन पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी।
सम्पदा प्रबंधक वृत तृतीय, रा0आ0म0 जयपुर

बिकाऊ
रिहायशी
श्याम नगर, माईऑन स्कूल के पास, चौधरी हाउस 565 वर्गगज में निर्मित 2 BHK-10 फ्लैट्स मय 4500 फिट बेसमेंट एकसाथ बिकाऊ। संपर्क- 9982245670

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1380
चूंकि प्रार्थी श्री ABDUL RASHEED, 85, JAGANNATHPURI-A, JHOTWARA, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास होली फेथ पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति 217, SANJAY NAGAR-A, JHOTWARA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 13.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 79/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवी सी-92/187 पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास केशव विद्यापीठ समिति, केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 02.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 08.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-01 कोटपूतली जिला-कोटपूतली-बहरोड उद्घोषणा (इश्तहार)
उनवान-श्योचन्द बनाम आम एवं खास वगैरा
मु.नं.-09/2020 तारीख पेशी 16/2/2026
विषय-उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रोबेट लेटर ऑफ एडिमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण श्योचन्द पुत्र श्री बालूराम, जाति-मेघवाल, निवासी-शहबादपुर, तहसील नंगल चौधरी, जिला-महेन्द्रगढ, हरियाणा ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके मृतक सतीश कुमार पुत्र श्योचन्द का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 2 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 03 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्राकंन से जारी किया गया है।
आज्ञा से-प्रस्तुतकार ग्रेड प्रथम
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-1, कोटपूतली

कार्यालय पंचायत समिति गोविन्दगढ़, जयपुर
Email ID:bdo.jai.gov@gmail.com Phone No. 01423-230025
क्रमाकः-पंसगो / लेखा/ई-निविदा/2025/213 दिनांकः-05.02.2026
निविदा सूचना संख्या /2025-26
वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत समिति गोविन्दगढ एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनओं में स्वीकृत कार्यों / संकर्म हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत प्रतिष्ठानों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र मे निविदाये आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से upload/download की व देखी जा सकती है।
NIB NO offline- PFA2526A0443 To PFA2526A0449 AND PFA2526A0456
UBN No. offline- PFA2526WSOB00444 To PFA2526WSOB00450 AND PFA2526WSOB00457
NIB NO online- PFA2526A0439 To PFA2526A0442 AND PFA2526A0450 To PFA2526A0455
UBN NO online- PFA2526WSOB00440 To PFA2526WSOB00443 AND PFA2526WSOB00451 To PFA2526WSOB00456
विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (जयपुर)

कार्यालय नगर निगम, कोटा राजस्थान
राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल-कोटा
क्रमांक :- ननिको/वि0/2026/378-384 दिनांक :- 03.02.2026
-:: ई-निविदा संशोधन ::-
इस कार्यालय द्वारा जारी ई-निविदा सूचना क्रमांक ननिको वि0/21/2026/279-286 दिनांक 13.01.2026 हेतु जारी बिड डॉक्यूमेंट के पृष्ठ संख्या 5 पर अंकित शर्त संख्या 4 को Technical Eligibility Criteria के बिन्दु संख्या 19.3.(1) के अनुसार पढ़ा जावे।
शेष शर्ते यथावत् रहेगी।
अधिशाषी अभियंता नगर निगम कोटा
राज.संवाद/सी/25/19277

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
म